न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, अनपरा स्थित, ओबरा सोनभद्र।

पीठासीन अधिकारीः— **श्री रमेश चन्द्र, (एच0जे0एस0)**

प्रकीर्ण सिविल अपील संख्या— 18/2016

1. रमाशंकर
2. श्याम लाल
3. राम रेखा
4. सुग्रीव
5. विनोद

पुत्रगण स्व0 राम मनोहर, निवासीगण जुगैल ''झरपिया'' परगना अगोरी, तहसील राबर्ट्सगज, जिला सोनभद्र।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

वन विभाग बजरिए प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा, वन प्रभाग ओबरा, जिला—सोनभद्र।

.....विपक्षी

निर्णय

प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील अपीलार्थीगण रमाशंकर आदि ने बन बन्दोबस्त अधिकारी, ओबरा, सोनभद्र द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या—1108 रमाशंकर आदि राम बनाम वन विभाग अन्तर्गत धारा—9/11 भारतीय वन अधिनियम में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 28.05.2011 के विरूद्ध इस प्रार्थना के साथ योजित की गयी है कि अपील स्वीकार करते हुए अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश निरस्त किया जाय।

2. अपील से संबंधित तथ्य संक्षेप में यह है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 28.05.2011 खिलाफ कानून व खिलाफ असलियत के है। अवर न्यायालय ने बिना साक्ष्य सबूत का पर्याप्त अवसर दिए वाद को पोषणीयता के बिन्दु पर निर्णय पारित करके गम्भीर विधिक त्रृटि की है। अवर न्यायालय ने आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत वाद को किस आधार पर निराधार एवं बलहीन तथा अत्यन्त कालबाधित माना इसका उल्लेख निर्णय में नही किया गया है। अतः अवर न्यायालय का निर्णय न्यायालय के निर्णय/ आदेश की श्रेणी में नही आता। अवर न्यायालय को सर्वप्रथम विलम्ब के बिन्दु पर सुना जाना चाहिए था, किन्तु अवर न्यायालय ने विलम्ब के बिन्दु पर आदेश पारित किए बिना वाद को मूल रूप से खारिज कर गम्भीर त्रुटि की है। अवर न्यायालय का आदेश सरसरी एवं उपेक्षापूर्ण आदेश है तथा बिना न्यायिक प्रक्रिया का पालन किए पारित आदेश है। अपीलार्थीगण दिनांक 16.12.2009 एवं दिनांक 09.03.2010 को पर्ची खतौनी की नकल लिया किन्तु खतौनी में धारा—4 में विज्ञापित होने का जिक्र न होने के कारण क्लेम समय से दाखिल नही कर सके। जानकारी दिनांक 12.05.2010 को हुई तब दिनांक 13.05.2010 को अवर न्यायालय के समक्ष वाद दाखिल किया। अवर न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने में

...2/

अपीलार्थीगण ने कत्तई कोई विलम्ब नही किया है, परन्तु यदि न्यायालय की राय में विलम्ब समझा जाय तो अपीलार्थीगण को भारतीय मियाद अधिनियम की धारा–5 का लाभ दिया जाय तथा अपील स्वीकार कर अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.05.2011 निरस्त किया जाय।

3. विपक्षी वन विभाग की ओर से आपत्ति कागज संख्या 37ग प्रस्तुत करते हुए यह अभिकथित किया गया कि प्रस्तुत अपील बिल्कुल गलत कानून खिलाफ असलियत तथा माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा याचिका सं0 1061/1982 वनवासी सेवा आश्रम वनाम उ0प्र0 सरकार में समय–समय पर दिये गये निर्देशों के विपरीत है। विवादित आराजी ग्राम जुगैल परगना अगोरी तहसील रावर्ट्सगंज जिला सोनभद्र मे स्थित है । परगना–अगोरी में जमीन्दारी 1 जुलाई 1953 को टूटी और उस समय किसी की भूमिधरी, जो मौके पर काश्त होती थी व आबादी को छोड़कर शेष समस्त भूमि राज्य सरकार में निहित हो गई। चूँकि परगना–अगोरी में जमीन्दारी विनाश अधिनियम की धारा 117(1) को विज्ञप्ति नहीं हुई और भूमि प्रबन्धक समिति भी नहीं बनी थी इसलिए राज्य सरकार ने उक्त प्रकार की समस्त भूमि को प्रबन्ध के लिए वन विभाग को हस्तान्तरित कर दिया तथा उसके उपरान्त परगना–अगोरी में प्रथम बार सर्वे व रेकार्ड आपरेशन की कार्यवाही 1372फ0 में हुई और उस समय ग्राम जुगैल के पुराने नम्बरान व अन्य नम्बरान, जो मौके पर जंगल, झाड़ी, परती, बंजर, पहाड़ आदि के रूप में पाये गये तथा जो राज्य सरकार की सम्पत्ति थी तथा जिस पर उसे हक मालिकाना प्राप्त था इसलिए राज्य सरकार ने ग्राम–जुगैल के विवादित आराजी के साबिक नम्बरान व अन्य नम्बरान को सुरक्षित वन बनाये जाने हेतु विज्ञप्ति सं0 6865/14–2–4(11)–70 दिनांक 19 जनवरी 1974 के द्वारा भारतीय वन अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत विज्ञापित कर दिया और विज्ञप्ति के बाद भारतीय वन अधिनियम की धारा–5 यह प्रतिबन्ध लगा देती है कि विज्ञापित भूमि में उसी व्यक्ति को अधिकार प्राप्त हो सकते हैं जिसको विज्ञप्ति के पूर्व अधिकार प्राप्त हो गये हो अन्यथा नहीं। माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा याचिका सं0 1061/1982 वनवासी सेवा आश्रम वनाम उ0प्र0सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 20.11.86 के आधार पर कैमर पर्वतमाला के दक्षिण मे सर्वे व रेकार्ड आपरेशन की कार्यवाही शुरू हुई और मौके की परताल हुई और सर्वे विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक गॉव के प्रत्येक गाटे पर मौके पर जाकर प्रधान व गांव वालों के साथ मौके की परताल की गई तथा मौके पर जिसका कब्जा पाया गया या मौके पर उपस्थित लोगों द्वारा जिसका कब्जा बताया गया उसका कब्जा अभिलेखों मे अंकित किया गया तथा सर्वे विभाग के कर्मचारियों द्वारा की गई परताल का सत्यापन सर्वे विभाग मे नियुक्त डिप्टी कलेक्टर या सहायक वन संरक्षक द्वारा किया गया । विवादित आराजी के किसी भी रकबे पर अपीलार्थीगण का कब्जा नहीं रहा है बल्कि विवादित आराजी विज्ञप्ति के समय से ही मौके पर जंगल झाडी के रूप मे रही तथा

...3/

माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0 1061/82 वनवासी सेवा आश्रम वनाम उ0प्र0सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 20.11.86 व 18.7.94 के आधार पर शुरू सर्वे व रेकार्ड आपरेशन की कार्यवाही मे वर्ष 1987 (1395फ0) मे हुई तथा मौके की परताल हुई और उस दौरान ग्राम जुगैल की विवादित आराजी के किसी भी रकबे पर अपीलार्थीगण का कब्जा परताल में नहीं पाया गया इसलिये अपीलार्थीगण द्वारा उस समय कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गई जबकि ग्राम जुगैल की विवादित आराजी को वन बन्दोबस्त अधिकारी व अपर जिला जज द्वारा सुरक्षित वन के पक्ष मे निर्णीत किया गया। माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा याचिका सं0 1061/82 वनवासी सेवा आश्रम बनाम उ0प्र0सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 20.11'86 मे दिये गये निर्देशानुसार सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा अपर जिला जज द्वारा अपील में पारित आदेश के क्रम में विवादित आराजी को सुरक्षित वन के नाम दर्ज किया गया। विवादित आराजी के सुरक्षित वन के पक्ष मे निर्णीत हो जाने के लगभग 18 वर्ष बाद अपीलार्थीगण द्वारा महज वनभूमि को हड़पने की नियत से विवादित के सम्बन्ध मे वन बन्दोबस्त अधिकारी के न्यायालय मे क्लेम प्रस्तुत किया गया है। विवादित आराजी भारतीय वन अधिनियम की धारा—84 व जमीन्दारी विनाश अधिनियम की धारा—132सी के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोग की भूमि है तथा पब्लिक प्रिमिसेस एक्ट के अन्तर्गत पब्लिक प्रिमिसेस है । इसलिये विवादित आराजी के सम्बन्ध मे जमीन्दारी विनाश अधिनियम की धारा 131ए के प्राविधान लागू नही होते है । विवादित आराजी के सम्बन्ध मे अपर जिला जज द्वारा पूर्व में अपील में पारित निर्णय के कायम रहते उसी आराजी के सम्बन्ध नये सिरे से किसी वाद की सुनवाई माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा वनवासी सेवा आश्रम की याचिका मे पारित निर्णय दिनांक 20.11.86 व 18.7.94 की अवमानना है तथा विवादित आराजी के सम्बन्ध मे आपत्तिकर्ता द्वारा दाखिल किसी क्लेम की सुनवाई का अधिकार वन बन्दोबस्त को नहीं था। वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील निरस्त किये जाने योग्य है ।

4. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता एवं वन विभाग के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

5. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क पेश किया गया कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 28.05.2011 खिलाफ कानून व खिलाफ असलियत के है। अवर न्यायालय ने बिना साक्ष्य सबूत का पर्याप्त अवसर दिए वाद को पोषणीयता के बिन्दु पर निर्णय पारित करके गम्भीर विधिक त्रृटि की है।

6. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क पेश किया गया कि अवर न्यायालय ने आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत वाद को किस आधार पर निराधार एवं बलहीन तथा अत्यन्त कालबाधित माना

...4/

इसका उल्लेख निर्णय में नही किया गया है। अतः अवर न्यायालय का निर्णय न्यायालय के निर्णय/ आदेश की श्रेणी में नही आता।

7. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क पेश किया गया कि अवर न्यायालय को सर्वप्रथम विलम्ब के बिन्दु पर सुना जाना चाहिए था, किन्तु अवर न्यायालय ने विलम्ब के बिन्दु पर आदेश पारित किए बिना वाद को मूल रूप से खारिज कर गम्भीर त्रुटि की है। अवर न्यायालय का आदेश सरसरी एवं उपेक्षापूर्ण आदेश है तथा बिना न्यायिक प्रक्रिया का पालन किए पारित आदेश है।

8. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क पेश किया गया कि अपीलार्थीगण दिनांक 16.12.2009 एवं दिनांक 09.03.2010 को पर्ची खतौनी की नकल लिया किन्तु खतौनी में धारा—4 में विज्ञापित होने का जिक्र न होने के कारण क्लेम समय से दाखिल नही कर सके। जानकारी दिनांक 12.05.2010 को हुई तब दिनांक 13.05.2010 को अवर न्यायालय के समक्ष वाद दाखिल किया।

9. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क पेश किया गया कि अवर न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने में यदि कोई विलम्ब समझा जाय तो अपीलार्थीगण को भारतीय मियाद अधिनियम की धारा—5 का लाभ दिया जाय तथा अपील स्वीकार कर अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.05.2011 निरस्त किया जाय।

10. इसके विपरीत विपक्षी वन विभाग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क पेश किया गया कि प्रस्तुत अपील बिल्कुल गलत कानून खिलाफ असलियत तथा माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा याचिका सं0 1061/1982 वनवासी सेवा आश्रम वनाम उ0प्र0 सरकार में समय—समय पर दिये गये निर्देशों के विपरीत है।

11. विपक्षी वन विभाग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क पेश किया गया कि विवादित आराजी ग्राम जुगैल परगना अगोरी तहसील रावर्ट्सगंज जिला सोनभद्र मे स्थित है । परगना—अगोरी में जमीन्दारी 01 जुलाई 1953 को टूटी और उस समय किसी की भूमिधरी, जो मौके पर काश्त होती थी व आबादी को छोड़कर शेष समस्त भूमि राज्य सरकार में निहित हो गई। चूँकि परगना—अगोरी में जमीन्दारी विनाश अधिनियम की धारा 117(1) को विज्ञप्ति नहीं हुई और भूमि प्रबन्धक समिति भी नहीं बनी थी इसलिए राज्य सरकार ने उक्त प्रकार की समस्त भूमि को प्रबन्ध के लिए वन विभाग को हस्तान्तरित कर दिया।

12. विपक्षी वन विभाग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क पेश किया गया कि परगना—अगोरी में प्रथम बार सर्वे व रेकार्ड आपरेशन की कार्यवाही 1372फ0 में हुई और उस समय ग्राम जुगैल के पुराने नम्बरान व अन्य नम्बरान, जो मौके पर जंगल, झाड़ी, परती, बंजर, पहाड़ आदि के रूप में पाये गये तथा जो राज्य सरकार की सम्पत्ति थी तथा जिस पर उसे हक मालिकाना प्राप्त था इसलिए राज्य सरकार ने ग्राम—जुगैल के विवादित आराजी के साबिक नम्बरान व अन्य नम्बरान को सुरक्षित वन बनाये जाने हेतु विज्ञप्ति सं0 6865/14

...5/

—2—4(11)—70 दिनांक19 जनवरी 1974 के द्वारा भारतीय वन अधिनियम की धारा—4 के अन्तर्गत विज्ञापित कर दिया और विज्ञप्ति के बाद भारतीय वन अधिनियम की धारा—5 यह प्रतिबन्ध लगा देती है कि विज्ञापित भूमि में उसी व्यक्ति को अधिकार प्राप्त हो सकते हैं जिसको विज्ञप्ति के पूर्व अधिकार प्राप्त हो गये हो अन्यथा नहीं।

13. विपक्षी वन विभाग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क पेश किया गया कि माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा याचिका सं0 1061/1982 वनवासी सेवा आश्रम वनाम उ0प्र0सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 20.11.86 के आधार पर कैमूर पर्वतमाला के दक्षिण में सर्वे व रेकार्ड आपरेशन की कार्यवाही शुरू हुई और मौके की परताल हुई और सर्वे विभाग के अधिकारियो व कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक गॉव के प्रत्येक गाटे पर मौके पर जाकर प्रधान व गांव वालों के साथ मौके की परताल की गई तथा मौके पर जिसका कब्जा पाया गया या मौके पर उपस्थित लोगों द्वारा जिसका कब्जा बताया गया उसका कब्जा अभिलेखों मे अंकित किया गया तथा सर्वे विभाग के कर्मचारियों द्वारा की गई परताल का सत्यापन सर्वे विभाग मे नियुक्त डिप्टी कलेक्टर या सहायक वन संरक्षक द्वारा किया गया ।

14. विपक्षी वन विभाग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क पेश किया गया कि विवादित आराजी के किसी भी रकबे पर अपीलार्थीगण का कब्जा नहीं रहा है, बल्कि विवादित आराजी विज्ञप्ति के समय से ही मौके पर जंगल झाडी के रूप मे रही तथा माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0 1061/82 वनवासी सेवा आश्रम वनाम उ0प्र0 सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 20.11.86 व 18.7.94 के आधार पर शुरू सर्वे व रेकार्ड आपरेशन की कार्यवाही मे वर्ष 1987 (1395फ0) मे हुई तथा मौके की परताल हुई और उस दौरान ग्राम जुगैल की विवादित आराजी के किसी भी रकबे पर अपीलार्थीगण का कब्जा परताल में नहीं पाया गया इसलिये अपीलार्थीगण द्वारा उस समय कोई आपत्ति दाखिल नही की गई जबकि ग्राम जुगैल की विवादित आराजी को वन बन्दोबस्त अधिकारी व अपर जिला जज द्वारा सुरक्षित वन के पक्ष मे निर्णीत किया गया।

15. विपक्षी वन विभाग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क पेश किया गया कि माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा याचिका सं0 1061/82 वनवासी सेवा आश्रम बनाम उ0प्र0सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 20.11'86 मे दिये गये निर्देशानुसार सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा अपर जिला जज द्वारा अपील में पारित आदेश के क्रम में विवादित आराजी को सुरक्षित वन के नाम दर्ज किया गया। विवादित आराजी के सुरक्षित वन के पक्ष मे निर्णीत हो जाने के लगभग 18 वर्ष बाद अपीलार्थीगण द्वारा महज वनभूमि को हड़पने की नियत से विवादित भूमि के सम्बन्ध मे वन बन्दोबस्त अधिकारी के न्यायालय मे क्लेम प्रस्तुत किया गया है।

16. विपक्षी वन विभाग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क पेश किया गया कि विवादित आराजी भारतीय वन अधिनियम की

धारा—84 व जमीन्दारी विनाश अधिनियम की धारा—132सी के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोग की भूमि है तथा पब्लिक प्रिमिसेस एक्ट के अन्तर्गत पब्लिक प्रिमिसेस है। इसलिये विवादित आराजी के सम्बन्ध मे जमीन्दारी विनाश अधिनियम की धारा 131ए के प्राविधान लागू नही होते है ।

17. विपक्षी वन विभाग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क पेश किया गया कि विवादित आराजी के सम्बन्ध मे अपर जिला जज द्वारा पूर्व में अपील में पारित निर्णय के कायम रहते उसी आराजी के सम्बन्ध नये सिरे से किसी वाद की सुनवाई माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा वनवासी सेवा आश्रम की याचिका मे पारित निर्णय दिनांक 20.11.86 व 18.7.94 की अवमानना है तथा विवादित आराजी के सम्बन्ध मे आपत्तिकर्ता द्वारा दाखिल किसी क्लेम की सुनवाई का अधिकार वन बन्दोबस्त को नहीं था। कुल मिलाकर यह तर्क पेश किया गया कि वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील निरस्त किये जाने योग्य है ।

18. प्रश्नगत प्रकरण में ग्राम जुगैल (झरपिया) परगना अगोरी तहसील राबर्ट्सगंज जिला सोनभद्र की आराजी संख्या 1895/10—0—0 एवं गाटा संख्या 2821ग/4—10—0 के बावत रमाशंकर आदि बनाम वन विभाग, वन बन्दोबस्त अधिकारी ओबरा, सोनभद्र के न्यायालय में दिनांक 15.05.2010 को दाखिल किया गया, जो वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा उभय पक्षों को सुनने के उपरान्त दिनांक 28.05.2011 को वाद निरस्त कर दिया गया। जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

19. विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान यह तर्क रखा गया कि सर्वे रेकार्ड एजेन्सी द्वारा मौके पर प्रत्येक गाटे पर जाकर उसकी पड़ताल की गयी थी। जिस व्यक्ति का कब्जा पाया गया उस व्यक्ति का कब्जे के आधार पर राजस्व अभिलेख में नाम इन्द्राज हो गया। विवादित आराजी के सन्दर्भ में मौके पर कोई कब्जा अपीलार्थीगण का नही पाया गया था और इसलिए ही विवादित आराजी के संबधं में अपीलार्थीगण का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित नही हो सका।

20. वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा निर्णय के अग्रभाग में यह मत अभिव्यक्त किया है कि वादीगण द्वारा विलम्ब के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार दावा निराधार एवं बलहीन तथा अत्यन्त काल बाधित है, जिससे वादीगण को भारतीय मियाद अधिनियम की धारा—5 का लाभ दिया जा सके।

21. अवर न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण द्वारा वन बन्दोबस्त अधिकारी के न्यायालय में ऐसा कोई प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत नही किया गया है कि वह विवादित सम्पत्ति के कब्जे के सन्दर्भ में सर्वे नायब तहसीलदार से स्थल जांच कर आख्या मंगा ले अथवा वह स्वंय स्थलीय जांच कर लेवें। अपीलार्थीगण द्वारा वन बन्दोबस्त अधिकारी के न्यायालय में कि

...7/

उसका विवादित भूमि पर कब्जा है कि पुष्टि हेतु ग्राम प्रधान अथवा किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का भी बयान अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है और अपीलार्थीगण द्वारा न ही अपीलीय स्तर पर विवादित भूमि के कब्जे के सन्दर्भ में कि उसका विवादित भूमि पर कृषीय कब्जा है, कोई शपथ पत्र अथवा दस्तावेजीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है।

22. अवर न्यायालय द्वारा निर्णय के अग्रभाग में यह मत व्यक्त किया है कि वादीगण द्वारा वाद विलम्ब से प्रस्तुत करने के सन्दर्भ में कोई स्पष्टीकरण नही प्रस्तुत किया गया है, जिससे वादीगण को भारतीय मियाद अधिनियम की धार—4 का लाभ दिया जा सके। यहां यह उल्लेखनीय है कि अवर न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 28.05.2011 मात्र इस आधार पर पारित किया गया है कि विलम्ब के सन्दर्भ में कोई स्पष्टीकरण अपीलार्थीगण द्वारा नही दिया गया है और पोषणीयता के आधार पर ही अपीलार्थीगण का वाद निरस्त कर दिया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वास्तव में अपीलार्थीगण द्वारा आपत्ति वन बन्दोबस्त अधिकारी के न्यायालय में दिनांक 31.07.1987 तक प्रस्तुत कर देनी चाहिए थी, लेकिन अपीलार्थीगण द्वारा ऐसी कोई आपत्ति वन बन्दोबस्त अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत नही की गयी।

23. अवर न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि कृषि योग्य भूमि नही है। सर्वे रेकार्ड कार्यवाही के दौरान विवादित भूमि राजस्व अभिलेख में सुरक्षित वन के रूप में दर्ज है, क्योंकि विवादित भूमि राज्य सरकार की सम्पत्ति थी और इसी कारण विवादित आराजी के संबंध में धारा—4 की विज्ञप्ति जारी की गयी। चूंकि विवादित भूमि पर अपीलार्थीगण का कोई कब्जा सर्वे एवं रेकार्ड आपरेशन के दौरान नही पाया गया, तथा अपीलार्थीगण अकाट्य एवं विश्वासनीय दस्तावेजीय एवं मौखिक साक्ष्य से इस तथ्य को साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहे है कि उसका विवादित भूमि पर दिनांक 30.06.1978 के पूर्व से कृषीय कब्जा है।

24. अपीलार्थीगण द्वारा वाद लगभग 23 वर्ष पश्चात वन बन्दोबस्त अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। विलम्ब एवं कब्जे के सन्दर्भ में अपीलार्थीगण द्वारा कोई न्याय संगत स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई अकाट्य एवं विश्वसनीय साक्ष्य कि विवादित भूमि पर सर्वे व रेकार्ड आपरेशन के दौरान एवं आज भी उसका कृषीय कब्जा है, दाखिल नहीं किया गया है। अवर न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के अग्रभाग में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि वादीगण द्वारा विलम्ब से वाद प्रस्तुत करने का कोई स्पष्टीकरण नही प्रस्तुत किया गया है, जिससे उसे भारतीय मियाद अधिनियम की धारा—5 का लाभ दिया जा सके। अपीलार्थीगण अकाट्य एवं विश्वासनीय दस्तावेजीय एवं मौखिक साक्ष्य से इस तथ्य को साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहे है कि उसका विवादित भूमि पर दिनांक 30.06.1978 के पूर्व से कृषीय कब्जा है। अवर

...8/

न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.05.2011 विधि सम्मत है और अवर न्यायालय द्वारा उसमें कोई तात्थयिक एवं विधिक त्रृटि कारित नहीं की गयी है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.05. 2011 में कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है। मेरी राय में अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 28.05.2011 स्थिर रहने योग्य है।

आदेश

प्रकीर्ण सिविल अपील संख्या 18/2016 रमाशंकर आदि बनाम वन विभाग बजरिए प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा, वन प्रभाग, ओबरा, जिला—सोनभद सव्यय निरस्त की जाती है।

अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 28.05.2011 की पुष्टि की जाती है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः 30.11.2016

(**रमेश चन्द्र**)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
अनपरा स्थित ओबरा, सोनभद्र।

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

दिनांकः30.11.2016

(**रमेश चन्द्र**)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
अनपरा स्थित ओबरा, सोनभद्र।